रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 21, 1987/वैशाख 31, 1909
No. 271] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 21, 1987/VAISAKHA 31, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, 21 मई, 1987

अधिसूचना

सा. का. नि. 518(अ):—निम्नलिखित नियम, जो संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति द्वारा उक्त धारा की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात बनाए गए हैं, और इस धारा की उपधारा (4) द्वारा यथा अपेक्षित

राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित और पुष्ट कर दिए गए हैं, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं :

संसद सदस्य (यात्रा और दैनिक भत्ते) संशोधन नियम, 1987

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसद सदस्य (यात्रा और दैनिक भत्ते) संशोधन नियम, 1987 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. संसद सदस्य (यात्रा और दैनिक भत्ते) नियम, 1957 में, नियम 10 के उपनियम (2) के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु इस नियम की कोई बात अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के उपबन्ध के निबन्धनों के अनुसार भारत में किसी स्थान से, भारत में किसी अन्य स्थान तक, किसी वर्ष के दौरान, विमान द्वारा सोलह एकल यात्राओं को लागू नहीं होगी ।"

[फा.सं. आर एस/8/87-एम एस ए]
सुदर्शन अग्रवाल, महासचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi, the 21st May, 1987

NOTIFICATION

G.S.R. 518 (E) .—**The following rules which** have been made by the Joint Committee constituted under sub-section (1) of section 9 of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954), after consultation with the Central Government, in exercise of the powers conferred on it by sub-section (3) of the said section and have been approved and confirmed by the Chairman of the Council of States and the Speaker of the House of the People, as required by sub-section (4) of that section, are published for general information,—

THE MEMBERS OF PARLIAMENT (TRAVELLING AND DAILY ALLOWANCES) AMENDMENT RULES, 1987.

1. (i) These rules may be called the Members of Parliament (Travelling and Daily Allowances) Amendment Rules, 1987.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Members of Parliament (Travelling and Daily Allowances) Rules, 1957, in rule 10, after sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that nothing in this rule shall apply to availing of sixteen single air journeys during any year from any place in India to any other place in India in terms of the provision of sub-section (2) of section 5 of the Act."

[F. No. RS|8|87-MSA]

SUDARSHAN AGARWAL, Secretary-General.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987